(2)

07/16 2-12339

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 495040

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ
2 MAR 2007

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - रू0 2,35,605/-
बाजारू मूल्य - रू0 47,684/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प- रू0 18,900/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. ग्राम - सीनई कजेहरा
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 31 रकबा 1.022

26271

8.3.07

इन्जत श्री सुन्दर

3000/-

विक्रय 235605 मालि० 476841

वि.मू. उ.म. व.मु. योग 600

4720 41 — 41 — 47401

श्री/श्रीमती रामशंकर पुत्र/पत्नी तुलसीराम

पेशा खेती निजामपुर मौ० बिजनौर

ने यह लेख ... कार्या

उपनिबंधक में ... 14/03/07 3/4

प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक

14/03/07

निष्पादन लेख पत्र बाद सुनने व समझने मजमून प्राप्त

धन रुपया 235605/- प्रलेखानुसार पाकर

उक्त श्री रामशंकर उर्फ व बृजलाल S/O सुघई R/O मिर्जापुर मियरी पो० नौगाँव, फतेहपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 495041

- 2 MAR 2007

हेक्टेअर का 1/6 भाग अर्थात 0.1703 हे0 स्थित ग्राम- सौनई कजेहरा, परगना मोहनलालगंज, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.1703 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	नहीं
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है ।

26275 P. 3-7

हरिलाल S/o सुखराम

पूर्वानुमोदन

अंगुलीछाप

पेशा

सत्यापित किया।

उप निदेशक

अंगुल छाप संग्र., [illegible]

अंगुली छाप पहचान श्री पंकज पाठक

पुत्र श्री हरिशंकर पाठक नौकरी

निवासी अंबेडकर कामपुल नगर हरदोई

द्वारा महेन्द्र प्रताप सिंह S/o हरिशंकर सिंह

पेशा मजदूरी हसनपुर खेड़ी बिलग्राम

(आवेदक हस्ताक्षर)

उप निदेशक

14/03/07

पंकज पाठक

प्रमाणित: ... निशानी अंगुठे निशानी ... हुई है।

(आवेदक हस्ताक्षर)

14/03/07

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 495091

चौहद्दी खसरा नं0 31

उत्तर	: खसरा नं0-25, 26
दक्षिण	: खसरा नं0-30, 32
पूरब	: खसरा नं0-35
पश्चिम	: खसरा नं0-26

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	:	केता का विवरण
रामशंकर पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर,	:	बृजलाल पुत्र सुघई निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।

बृजलाल

रामशंकर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 195572

9 MAR 2007

तहसील व जिला लखनऊ		
व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख रामशंकर पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् बृजलाल पुत्र सुधई निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे केता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 195573

- 5 -

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 31 रकबा 1.022 हे0 का 1/6 भाग अर्थात 0.1703 हे0 स्थित ग्राम- सौनई कजेहरा, परगना मोहनलालगंज, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00270 के अनुसार विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 195574

TRY. LKO.

9 MAR 2001

समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के

500Rs.

अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 2,35,605/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 351978

विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 331979

उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

YRY G 331970

2 MAR 2007

YRY LKO.

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम सौनई कजेहरा जो कि सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0

2,80,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1703 हेक्टेअर की मालियत 47,684/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 18,900/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता रामशंकर को रू0 2,35,605/- द्वारा चेक संख्या-413589 दिनांकित 13.03.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

रामशंकर   शिव प्रसाद लाल

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 2,35,605/- (रूपया दो लाख पैंतीस हजार छः सौ पांच मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊः

दिनांक : 13.03.2007

<u>गवाह</u> :-

1. <u>क्रेता की पहचान की</u>
पंकज पाठक
S/o - हरि शंकर पाठक
[illegible] काम्पलेक्स
लखनऊ

2. विक्रेता की पहचान की
महेन्द्र प्रताप सिंह
S/o श्री हरीशंकर सिंह
[illegible] लखनऊ

टाईपकर्ता

(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

विक्रेता

क्रेता

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

सौनर्व कजेक्ट्य

ग्राम - सौनडिकजदा परगना मोहनलालगंज तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ

खसरा नं० 31 रकबा 1.022 का 1/6 भाग 0.1703 हे०

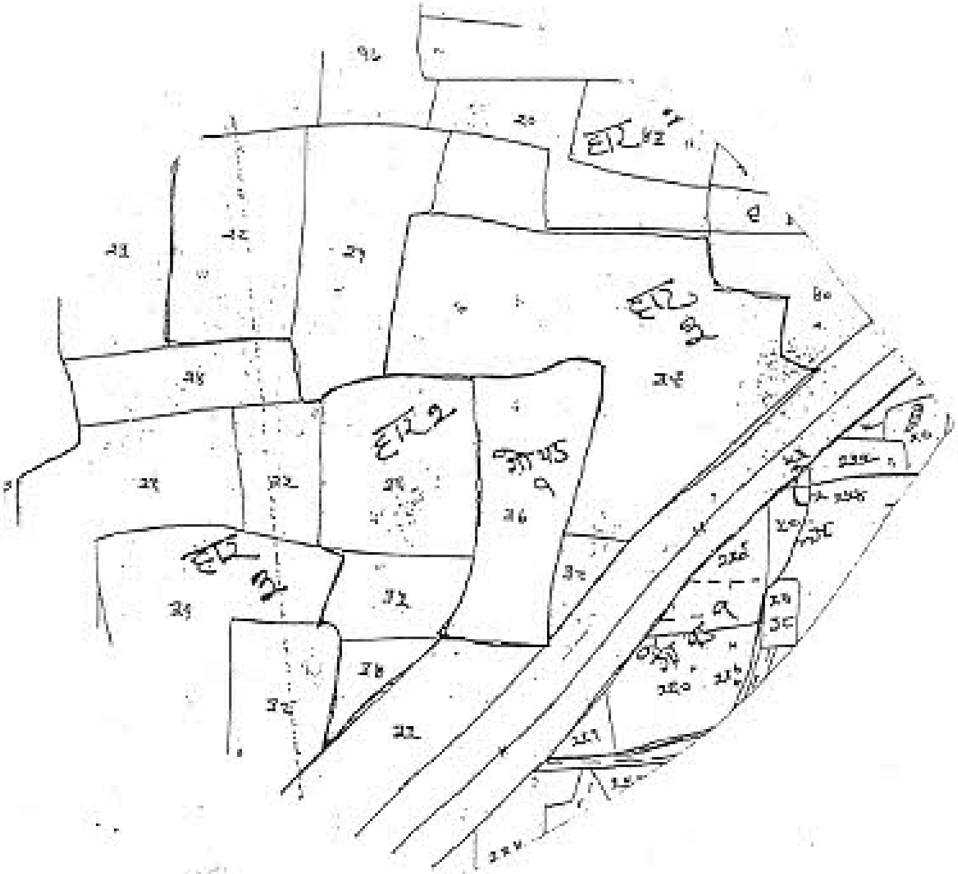

विक्रेता

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

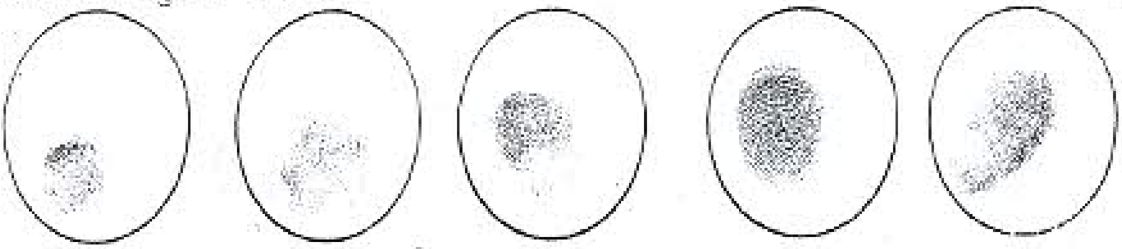

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- ~~[illegible]~~ [illegible]

बांये हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

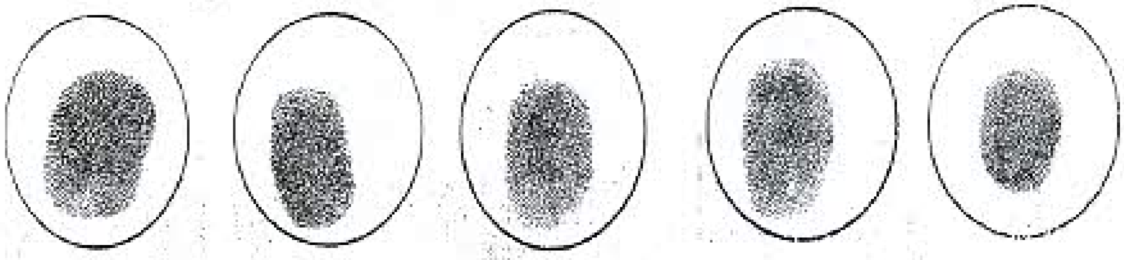

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

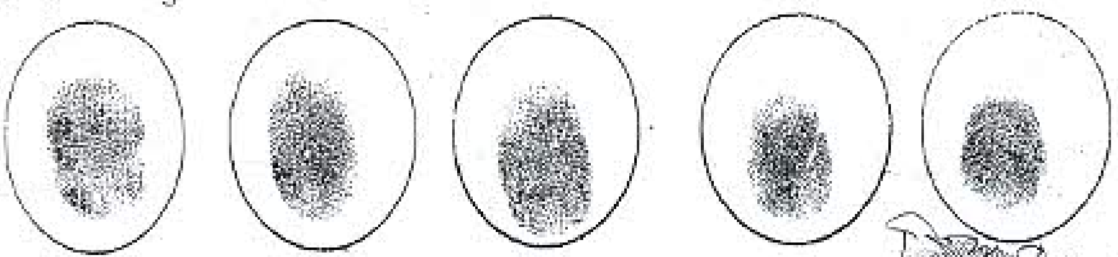

[illegible]

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 14/03/07 को [illegible]

पुस्तक संख्या [illegible]

पृष्ठ [illegible] 1228/07

पर पंजीकृत किया गया।

राजेन्द्र कुमार

उप निबन्धक मोहनलालगंज

लखनऊ